



Neutral Citation No-2026:AHC:9563

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4735 वर्ष 2025

कुंवरपाल राणा याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ब्रजेश शुक्ला, कार्तिक मिश्रा, विभव पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है।
2. स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि समेकन के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश पुनरीक्षण योग्य है। इसलिए, प्रस्तुत रिट याचिका पुनरीक्षण दायर करने के लिए वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर करने के लिए उपाय की उपलब्धता को स्वीकार किया है।
4. उपरोक्त के रूप में इस परिप्रेक्ष्य में, चकबंदी के उप निदेशक के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर करने के लिए एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तुत रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

जनवरी 14, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)